FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District JAIPUR (WEST) **P.S.(थाना):** KARNIVIHAR **Year(वर्ष):** 2026
FIR No(प्र.सू.रि. 0193 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 24/04/2026 12:49 बजे

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
6	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66
7	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	67

3. (a Occurrence of offence (अपराध की

1. Day(दिन): दरमियानी दिन **Date From(**दिनांक 01/07/2024 **Date To(**दिनांक 30/03/2026
Time Period (समय **Time From (**समय 00:00 बजे **Time To (**समय 00:00 बजे

(b Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई **Date(**दिनांक**):** 24/04/2026 **Time (**समय**):** 12:39 बजे

(c General Diary Reference (रोजानामचा **Entry No.(**प्रविष्टि 040 **Time (**समय**):** 24/04/2026 12:39:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल **):**

1. (a Direction and distance from P.S (थाना से दूरी औरपश्चिम, 3 किमी **Beat No(**बीट एकता नगर

(b Address(पता**):** EKTA NAGAR C DHAWAS

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो**)**

Name of P.S(थाना का नाम**):** **District(State)(**ज़िला(राज्य)**):**

6. Complainant / Informant

(a Name(नाम**):** GIRWAR SINGH

(b Father's Name (पिता का VIJAY SINGH

(c Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष**)** 1967 **(d) Nationality (**राष्ट्रीयता**)** INDIA

(e UID No (यूआईडी सं.**):**

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.**):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि **Place of Issue (**जारी करने का स्थान**):**

(g Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण**(**राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं.,ड्रायविग लायसेंस,पैन**)):**

S.No.(क्र.	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(h Occupation

(i) Address(पता**):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का	Address (पता)
1	वर्तमान पता	07, AJMER ROAD, EKTA NAGAR C, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	07, AJMER ROAD, EKTA NAGAR C, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.**):** **Mobile (**मोबाइल न.**):** 91-9314647589

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन **):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो

S.No.(क्र.	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण **(**यदि आवश्यक हो**,** तो अलग पृष्ट

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10 Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में) **):**

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰**,** यदि कोई

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12 First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य **(**यदि आवश्यक हो**,** तो अलग पृष्ट

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या- 5 जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर। परिवाद पत्र संख्या-.. /202623-59 वर्ष गिरवर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी-प्लॉट नं. 7. एकता नगर सी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर परिवादी / प्रार्थी बनाम 1. सुनिल अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी अवध मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर। मोबाईल नम्बर 9351505030 2. रजत शर्मा, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 7568811177, 3. विजय मौर्या उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 71526792607, 4. ईश्वर वर्मा, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 9529310840 5. सुरेन्द सैनी, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 9983149900 6. संदीप सिगार, उम्र वयस्क, 7. पवन सेवालिया, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 9875122187 8. एलन चौधरी, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 7222061000 9. सोमवीर मोटिया, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 7340891600 10. बिजेश पाण्डे, उम्र वयस्क, मोबाईल नम्बर 7014359644 11. अन्य अभियुक्तगण जो दौराने अनुसंधान सामने आये। अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा-210 व 175 (3) बी.एन.एस.एस. तथा अपराध अन्तर्गत धारा 316 (2), 316 (5), 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-66 व 67 आई.टी.एक्ट, पुलिस थाना-करणी विहार, जयपुर। महोदय, प्रार्थी/परिवादी की ओर से परिवाद पत्र निम्न प्रकार पेश हैं 1. यह कि प्रार्थी/परिवादी प्लॉट नं. 7. एकता नगर सी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर का निवासी हैं, जो कि अपना निजी व्यवसाय कर जीवन यापन कर रहा हैं। 2. यह कि वर्ष 2023 के जुलाई माह में परिवादी के घर पर अभियुक्त सुनिल अग्रवाल नामक व्यक्ति ने आकर मुझसे सम्पर्क किया। उसने परिवादी को बताया कि वो यानी अभियुक्त सुनिल अग्रवाल X.P.O. कम्पनी में उच्च पदाधिकारी है व लम्बे समय से X.P.O. कम्पनी के लिए इनवेस्टमेन्ट लाने का कार्य कर रहा है व स्थाई रूप से जयपुर के अवध मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर में निवास कर रहा है व उसका मोबाईल नम्बर 9351505030 है। इस प्रकार उसने स्वयं को X.P.O. कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में बताते हुए परिवादी को X.P.O. कम्पनी में निवेश करने व उसके बदले प्रति सप्ताह बहुत अधिक प्रोफिट/लाभ/रिटर्न का प्रलोभन दिया। 3. यह कि इस दौरान उसने परिवादी को कम्पनी के मालिकों, कर्मचारियो, व कम्पनी से जुडे अन्य लोगों की लग्जरी लाईफ व विदेश भ्रमण आदि की फर्जी तस्वीरें व विडियों आदि दिखाकर विश्वास दिलाया कि इन सब लोगों की किस्मत X.P.O. कम्पनी के कारण बदली है। अभियुक्त सुनिल अग्रवाल द्वारा परिवादी गो ये विश्वास दिलाया गया कि X.P.O. कम्पनी में परिवादी के द्वारा किये जाने वाला इन्वेस्टमेन्ट बहुत अधिक रिटर्न देने वाला रहेगा और पैसा भी सैफ रहेगा, यह एक बहुत बडी कम्पनी है, जो कि कई देशो में अलग-अलग प्रकार के कारोबार करती है व उन्नमें अत्यधिक प्रोफिट होने के कारण इन्वेस्ट का पैसा भी बहुत जल्दी कई गुना हो जाता है। उसके द्वारा उपरोक्त सभी प्रकार की फोटो विडियों व प्लान आदि बताने पर परिवादी अभियुक्त सुनील कुमार की बातों की जाल में फंस गया और परिवादी ने उसकी बताई बातों पर पर विश्वास करते हुए X.P.O. कम्पनी में निवेश के लिए हाँ कर दी, इस पर अभियुक्त सुनिल अग्रवाल ने मेरा X.P.O. कम्पनी में मोबाईल एप्लीकेशन के जरिये खाता खोल इन्वेस्टमेन्ट शुरू कर दिया। 4. यह कि उक्त इन्वेस्टमेन्ट के लिए अभियुक्त सुनिल अग्रवाल ने रिद्वि-सिद्वी चोराहे पर अपना एक ऑफिस भी बना रखा था, जहां पर यह परिवादी व अन्य लोगो से नकद रूपया लेता था और इसे रूपये देने के बाद उक्त रूपया परिवादी अन्य लोगो के मोबाईल में पूर्व में अभियुक्त सुनिल अग्रवाल द्वारा डाउनलोड कर शुरू की गई X.P.O. कम्पनी की एप्लीकेशन पर क्रिप्टो करेन्सी जैसे यू एस.डी.टी. आदि के रूप में इन्वेस्टमेन्ट किया हुआ दिखाई देता था। उक्त जमा की गई राशि पर प्रत्येक सोमवार को परिवादी व अन्य लोगो द्वारा जमा की गई राशि का प्रोफिट/रिटर्न के रूप में कुछ राशि दिखाई जाती थी, परन्तु वो राशि परिवादी व अन्य लोगा नकद भारतीय रूपयों में सीधे नही निकाल सकते थे, बल्कि उसके लिए अभियुक्तगण ने बहुत जटिल व लम्बी प्रक्रिया बना रखी थी। 5. यह कि शुरूआत में परिवादी ने बहुत कम रूपये इन्वेस्ट किए, जिस पर अभियुक्त सुनिल अग्रवाल द्वारा परिवादी को प्रलोभन दिया गया कि आप केवल अपने रूपयों के इन्वेस्टमेन्ट पर डी रिटर्न नही पाओगे, अपितु यदि आपके नीचे और लोग भी जुडते है तो उनके द्वारा किये जाने वाले इन्वेस्टमेन्ट / जमा राशि पर भी आपको प्रोफिट/रिटर्न मिलेगा। अन्य लोगो को जोडने के लिए अभियुक्त सुनिल अग्रवाल उसके साथी व कम्पनी के अन्य प्रतिनिधि/कर्मचारी/अभियुक्त रजत शर्मा, 7568811177, अभियुक्त विजय मौर्या 71526792607, अभियुक्त ईश्वर वर्मा, 9529310840 व अभियुक्त सुरेन्द सैनी, 9983149900, आदि लोगों ने जगह-जगह कई सेमीनार, मिटिंग, मेले आदि का आयोजन किया। 6. यह कि उक्त आयोजनो में अभियुक्तगण ने बार-बार स्वयं को उक्त कम्पनी का प्रतिनिधि व अभियुक्त संदीप सिगार, अभियुक्त पवन सेवालिया, (9875122187) अभियुक्त एलन चौधरी, (7222061000) अभियुक्त सोमवीर मोटिया, (7340891600) अभियुक्त बिजेश पाण्डे, (7014359644) आदि को कम्पनी का मालिक/पार्टनर बताया गया व इस दौरान इन सेमीनारो में अभियुक्तगण की महंगी लग्जरी कारों, बडे विदेशी होटलो व विदेशी लोगों के साथ फोटो, विडियों दिखाये जाते व वी.सी. के जरिये बात करवाई जाती और इन मिटिगो व सेमीनारो में ही अभियुक्तगण द्वारा उक्त X.P.O. कम्पनी व इसके अन्य सहायक कम्पनीयों द्वारा किए जा रहे अनेक व्यवसायों खनन आदि के बारे में बताया जाता व वहां की फर्जी तस्वीरें व दस्तावेज भी दिखाये जाते थे। 7. यह कि अभियुक्तगण ने परिवादी व अन्य लोगो को विश्वास दिलाया था कि हम एक स्थापित कम्पनी के प्रतिनिधि व मालिक है और परिवादी व अन्य लोगो पास न केवल आपके द्वारा दिये गये रूपयों का अच्छा रिटर्न है, अपितु आपका रूपया भी पूर्णतया सुरक्षित है। इस प्रकार अभियुक्तगण की बताई गई स्कीम व बातो की जालसाजी में फंसकर परिवादी ने राशि 1,13,000/-रूपये का इन्वेस्टमेन्ट व परिवादी के जानकार रिश्तेदार भंवर कंवर ने राशि 57,000/- रूपये, मुकेश चतुवेदी ने राशि 10,50,000/- रूपये, सोनाक्षी अम्बावानी राशि 8,00,000/- रूपये, अन्जू सिंह ने राशि 76,000/- रूपये, चैन सिंह ने राशि 32,000/-रूपये, हरेन्द्र सिंह ने राशि 1,00,000/- रूपये, मृदुल सिंह ने राशि 10,00,000/- रूपये, राजेश सिंह ने राशि 19,00,000/- रूपये, माया दिवर ने राशि 20,000/- रूपये, मदन लाल यादव ने राशि 6,50,000/- रूपये, हरेन्द्र सिंह ने राशि 20,000/- रूपये, मुकेश शर्मा ने राशि 2,00,000/- रूपये, अमित कुमावत ने राशि 1,25,000/- रूपये, किशन लाल ने राशि 5,50,000/- रूपये, नरेश दोसाया ने राशि 30,000/- रूपये, मोहनलाल जायसवाल ने राशि 10,000/- रूपये, रामचरण अभियुक्त विजय ने राशि 2,00,000/- रूपये, तरूण खण्डेलवाल ने राशि 1,00,000/- रूपये, विनित सैन

ने राशि 50,000/- रूपये, राधा मोहन ने राशि 1,01,000 /- रूपये, विशाल सैन ने राशि 1,01,000/- रूपये, दीपक गुप्ता ने राशि 2,02,000/- रूपये, रामबाबू गुप्ता ने राशि 2,00,000/- रूपये, लखन उमरवाल ने राशि 4,80,000/- रूपये, तरूण शर्मा ने ने राशि 9,00,000/- रूपये, विनोद धाबाई ने राशि 1,50,000/- रूपये, निर्मल शर्मा ने राशि 65,000/- रूपये, विमल गुप्ता ने राशि 2,10,000/- रूपये, शाहिद ने 3,00,000/- रूपये, अनिता देवी ने राशि 5,73,000/- रूपये के लगभग उक्त लोगों की बताई गई स्कीम दिखाये गये फर्जी फोटो, विडियों व आदि के झांसे में आकर जमा करवा टी। 8. यह कि उक्त सभी के पास भी परिवादी की तरह ही अभियुक्तगण ने मोबाईल में कम्पनी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रखा था. जहां पर अभियुक्तगण को जमा करवाये गये नकद रूपयों का इन्वेस्टमेन्ट किप्टो करेन्सी, यू.एस.डी.टी. आदि के रूप में दिखाई देता था व कम्पनी द्वारा प्रति सप्ताह दिया जाने वाला रिटर्न/प्रोफिट भी उसी मोबाईल एप्लीकेशन पर दिखाई देता था व उक्त प्रोफिट/रिटर्न को वापस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल व लम्बी थी। परिवादी व अन्य लोगो ने इस कम्पनी और अभियुक्तण पर विश्वास करते हुए व अभियुक्तगण के झांसे में आकर अपनी गाढी कमाई के पैसे व कुछ परिवादी व अन्य लोगो जानकारो, रिश्तेदारो के भी गाढी कमाई के पैसे उनके निवेदन करने पर इस कम्पनी में लगा दिये। परन्तु अचानक ही X.P.O. कम्पनी से परिवादी व अन्य लोगो को मिलने वाला प्रोफिट/रिटर्न रूक गया व उक्त कम्पनी के परिवादी व अन्य लोगो के मोबाईल में डाउनलोड एप्लीकेशन भी स्वतः ही बन्द हो गई, जिस पर अभियुक्तगण से सम्पर्क करने पर अभियुक्तगण ने अपने-अपने मोबाईल व ऑफिस आदि बन्द कर दिये है। 9. यह कि थोडे दिन बाद जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह X.P.O. कम्पनी व अभियुक्तगण ने धोखाधडी कर परिवादी व अन्य आम नागरिको से उनकी गाढी कमाई का रूपया हडप करने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत बनाई थी, जिसमें अभियुक्तगण शुरूआत में बडे प्रोफिट का झांसा देकर लोगों को फंसाते व उसके बाद उन्हें धीरे-धीरे लालच देकर उनकी गाढी कमाई का हजारों, करोडो रूपये स्वयं को सदोष लाभ व परिवादी जैसे आम नागरिको को सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से सोची-समझी साजिश के तहत हडप कर गये। साथ ही जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस कम्पनी का किसी भी देश में या भारत में किसी प्रकार का कोई व्यापार नही है, ये केवल मात्र एक फर्जी एप्लीकेशन थी, जिसमें फर्जी तरीके से परिवादी व अन्य लोगो द्वारा दिया गया पैसा परिवादी व अन्य लोगो इन्वेस्टमेन्ट के रूप में दिखाया जाता व परिवादी व अन्य लोगो ही पैसे को अभियुक्तगण इकट्ठा कर अपने विदेशो में स्थित बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया जाता। 10. यह कि इस प्रकार अभियुक्तगण ने अपनी पूर्व नियोजित साजिश के तहत पहले एक फर्जी कम्पनी बनाई फिर उसका एक फर्जी एप्लीकेशन बनाकर परिवादी व परिवादी की तरह ही अन्य आम नागरिको से उनकी गाढी कमाई का रूपया उस एप्लीकेशन के जरिये इन्वेस्ट कर अत्याधिक प्रोफिट/रिटर्न का झासा देकर इकट्ठा किया और फिर पूर्व नियोजित साजिश के तहत उक्त समस्त धनराशि को अपने विदेशो में स्थित बैंक खातो में जरिये यू.एस.डी.टी., बिटकॉईन व अन्य किप्टोकरेन्सी ट्रांसफर कर लिये और परिवादी व अन्य लोगो को कुछ समय तक तो इन्वेस्टमेन्ट पर फर्जी तरीके से रिटर्न दिखाया गया और उसके पश्चात अचानक से ही उक्त मोबाईल एप्लीकेशन, इनके मोबाईल फोन व खुले हुये कार्यालय बन्द कर फरार हो गये और इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी, परिवादी के साथियो की व अन्य आम नागरिको की गाढी कमाई का हजारो करोड़ रूपये गबन कर हड़प कर लिये। 11. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कुछ कृत्य धारा (5), 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2) व 61 (2) 316 (2), 316 भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 व 67 आई.टी.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। 12. यह कि परिवादी उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर में गया किन्तु परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस पर परिवादी द्वारा पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर पश्चिम व श्रीमान पुलिस उपायुक्त, जयपुर महानगर पश्चिम, जयपुर में उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया किन्तु आज दिनांक तक किसी प्रकार की ना तो कार्यवाही की गई एवं ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, इस कारण उक्त परिवाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रेषित करना आवश्यक हुआ है। 13. यह कि परिवादी प्लॉट नं. 7, एकता नगर सी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर का निवासी हैं व प्रार्थी व अभियुक्त सुनील की प्रथम मुलाकात भी प्रार्थी के निवास स्थान पर हुई थी, जो पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिससे श्रीमान को उक्त परिवाद को सुनने व निर्णित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। 14. यह कि परिवादी की जानकारी में कोई भी अभियुक्तगण सरकारी कर्मचारी अथवा लोक सेवक के पद पर कार्यरत नहीं हैं। 15. यह कि परिवाद उचित न्यायशुल्क व अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। 16. यह कि अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि उक्त परिवाद पत्र को अनुसंधान हेतु धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस थाना करणी विहार (पश्चिम), जयपुर को भिजवा कर पुलिस थाना को एफआईआर दर्ज कर नतीजा अनुसंधान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें। जयपुर दिनांक 30/3/26 प्रार्थी गिरवर सिंह पुत्र श्री अभियुक्त विजय सिंह, निवासी-प्लॉट नं. 7. एकता नगर सी, धावास, अजमेर रोड, जयपुर ----कार्यवाही पुलिस---- प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरवर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी प्लाट नं. 07 एकता नगर सी धावास अजमेर रोड जयपुर का इस्तगासा मा. न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 5 से जरिये डाक थाना हाजा पर प्राप्त हुआ मजमून इस्तगासा से अपराध धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), व 61(2) बीएनएस व 66 व 67 आईटी एक्ट के वकु में आना पाया जाने पर अभियोग कायम कर तफ्तीश श्री हवा सिंह सीआई थानाधिकारी करणीविहार के जिम्मे की जाती है। प्रतियां एफआईआर नियमानुसार जारी की गई एक प्रति परिवादी को निशुल्क दी जावेगी। एसडी सुनिल कुमार सिंह स.उ.नि. पीएस करणी विहार जयपुर शहर दिनांक 24.4.26

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया

or (या**)**

(2 Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का Hawa Singh **Rank (**पद**):**निरीक्षक

No(सं.**):** **to take up the Investigation (**को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया

(3 Refused investigation due to(जांच के

or (के कारण इंकार किया या**)**

(4 Transferred to P.S.(थाना**):** **District(**ज़िला**):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी**,** सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी **|)**

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.**)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

Signature/हस्ताक्षर

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station

Name(नाम): Sunil Kumar Singh

Rank Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.): ASI

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद **7** संलग्नक**):**

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ**,** विकृतियाँ और अन्य विवरण **:(**यदि ज्ञात / देखा गया**))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है **|)**